दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

क्रमाँक : एफ-26/पी/.सी.ए.क्यू.सी.83/ डी-24 दिनाँक: 16/3/18

विषय :- श्री एस. के. बग्गा, विधायक द्वारा पूछे गये विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 83 दिनांक 20.03.2018 का उत्तर।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (क)डीयूएसआईबी में कितने डब्ल्यू सी सीट शौचालय पुरुषों, महिलाओं, बच्चों व दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं, अलग-अलग संख्या क्या है; | डीयूएसआईबी में 19175 डब्ल्यू सी सीट शौचालय है। जिनमें 9681 डब्ल्यू सीट पुरूषों के लिए, 8440 डब्ल्यू सी महिलाओं के लिए, 438 डब्ल्यू सीट बच्चों के लिए 616 डब्ल्यू सीट, दिव्यागों के लिए हैं। |
| (ख)इन शौचालयों से कितनी अबादी लाभान्वित होती है; | ये शौचालय 675 जे.जे. बस्ती में रहने वाले लोगों द्वारा उपयोग किए जा रहे है। |
| (ग)इन शौचालयों के निर्माण के लिए अपनाए जाने वाले नियम क्या हैं और उन नियमों की स्वीकृति किससे ली गई; | इन शौचालयों के निर्माण 2014 से पहले मिनिस्ट्री आफ हुपा, केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार 50 व्यक्तियों पर एक डब्ल्यू सी बनाने का प्रावधान था जो अब स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के आने से 30 व्यक्तियों पर एक डब्ल्यू सी है। |
| (घ)रात के समय ये शौचालय कितने कार्यक्षम हैं, इसकी जांच के लिए कितनी बार निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षकों की क्या टिप्पणियां रहीं; | दिल्ली सरकार के निर्णय के अनुसार सभी शौचालय 01/01/2018 से फ्री कर दिए गए है और 24 घन्टे खुलेगें रात्रि के समय सभी शौचालय प्रयोग हेतु खुले हैं। रात्रि के समय डूसीब द्वारा निमित अधिकारियों से एक बार औचक निरिक्षण कराया गया। जिनकी टिप्पणियाँ इस प्रकार थीः-<br>1 कम यूजर पाये गये।<br>2 सुरक्षा व कानून व्यवस्था की समस्या। |
| (ड़)इन शौचालयों में दिन के समय और विशेषकर रात के समय महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; | रखरखाव एवं देखभाल ऐजन्सीयों ने दिन एवम रात में केयर टेकर नियुक्त किये हुऐ हैं और प्रकाश की सम्पूर्ण व्यवस्था सभी परिसरों में हैं। सुरक्षा के हिसाब से सभी शौचालयों में रात्रि के समय प्रकाश की सम्पूर्ण व्यवस्था तथा केयर टेकर नियुक्त है। |

| | |
|---|---|
| (च)शौचालय परिसर के रात्रि-प्रयोग के संबंध में इनके परिचालन व रखरखाव संबंधी शर्तें क्या हैं | रखरखाव व देखभाल एजेन्सियों को रात्रि के समय आवश्यकता अनुसार डब्ल्यू सी सीटों को जनता हेतु खोलने की हिदायत दी गयी है। |
| (छ) नगर निगम से अधिगृहीत डब्ल्यू सी शौचालयों सहित कुल शौचालय परिसरों की संख्या क्या हैं और उन्नयन पर कुल कितना खर्च किया गया | समय-समय पर नगर निगम से 192 शौचालय अधिगृहीत किये गये व आवश्यकता अनुसार उनका उन्नयन किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया एक महिने का समय दिया जाए। |
| (ज) उक्त शौचालय कब अधिगृहीत किए गए, उनके उन्नयन के लिए एस्टीमेट कब तैयार किया गया और अंततः उन्हें जनता के प्रयोग के लिए कब खोला गया तथा जनता के उपयोग लायक बनाने में में आए कुल खर्च का ब्यौरा वर्षवार क्या है | उक्त शौचालयों को अधिगृहीत करने की प्रक्रिया 2014 से अभी तक चल रही है। आवश्यकता अनुसार समय-समय पर उनका उन्नयन कार्य किया गया व तैयार होने पर जनता को समर्पित किया गया । विस्तृत जानकारी के लिए एक महिने का समय दिया जाऐं। |
| (झ)दिल्ली नगर निगम से अधिगृहीत किए जाने और उन पर खर्च किए जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन हैं | दिल्ली सरकार की प्लान स्कीम के अनुसार डूसिब के अधिकारियों द्वारा यह काम किये गये। (CE/SE/EE CIVIL AND ELECTICAL ) |
| (ट) ऐसे सभी शौचालय परिसरों का ब्यौरा जिनका अवशिष्ट सीधे सीवर लाईन में, सेप्टिक टैंक में, बायो-डाइजेस्टर्स में अथवा खुले नालों में जाता है, और | 391 शौचालय परिसरों का अवशिष्ट सीवर लाइन में, 219 शौचालयों सेप्टिक टैंक में व 10 शौचालयों का खुले नालों में जाता है। |
| (ठ) उन अधिकारियों का नाम क्या है जो मानव-अवशिष्ट को सीधे नालों में बहने दे रहे हैं? | खुले में शौच करने की समस्या से निपटने के लिए व अवशिष्ट विसर्जन का कोई उपर्युक्त विकल्प के अभाव में अस्थाई तौर पर 10 शौचालयों का अवशिष्ट नालों में जा रहा है। इन शौचालय को डिवजन नम्बर सी-4 ,सी-8 और सी-11 के अधिशासी अभियंताओं द्वारा स्थाई समाधान के प्रयास जारी है। |

यह उत्तर सक्षम आधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक (ससंद)प्रकोष्ट

**उप सचिव (श .वि.), दिल्ली सचिवालय,दिल्ली सरकार**